न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः–श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः– 367/2016/223 (00367/2016)

1. कालूसिंह पुत्र हजारीसिंह, जाति रावत, निवासी गढ़ी थोरियान, पटवार हल्का बलाड़, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भैरा पुत्र इन्द्रा,
2. मेदा पुत्र इन्द्रा,
   दोनों जाति रावत, निवासी ग्राम गढ़ी थोरियान, पटवार हल्का बलाड़, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. सुरेश पुत्र बुद्धा0
4. राजू पुत्र बुद्धासिंह नाबालिग जरिये सरंक्षक नीमसिंह पुत्र मोडसिंह,
5. नीमसिंह पुत्र मोडसिंह,
6. नैनासिंह पुत्र मोडसिंह,
7. बाबूसिंह पुत्र मोडसिंह,
8. श्रीमती सीता पुत्री मोडसिंह,
9. मीरा पुत्री मोडसिंह,
10. श्रीमती शांति पुत्री मोडसिंह,
11. श्रीमती मुन्ना पुत्री मोडसिंह,
12. किशनसिंह पुत्र हजारीसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
    12/1– सोहनी बेवा किशनसिंह,
    12/2– नौरत पुत्र किशनसिंह,
    12/3– परमेश्वर पुत्र किशनसिंह,
    12/4– शान्तू पुत्र किशनसिंह,
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम गढ़ी थोरियान, पटवार हल्का बलाड़, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
13. छोटूसिंह पुत्र हजारीसिंह,
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम गढ़ी थोरियान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

वादीगण/रेस्पोडेंटस

14. श्रीमती केली बेवा भूरसिंह, निवासी गढ़ी थोरियान, हाल निवासी देलवाड़ा रोड़, कोहिनूर मार्बल के पीछे, ब्यावर, जिला अजमेर ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
16.

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2005 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर अंतर्गत वाद संख्या 18/2004.

उपस्थितः–

1. ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री माधवराज, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 13 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 09.03.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय दिनांक 30.3.2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पोडेंटस एवं अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश कर कथन किया कि ग्राम वाके ग्राम गढी थोरियान, पटवार क्षेत्र बलाड़ भू–अभिलेख क्षेत्र नया नगर, तहसील ब्यावर में स्थित आराजी खसरा नंबर 1680, 1681, 1685, 1687/1, 1687/2 कुल किता 5 कुल रकबा 6–1–10 बीघा स्थित है । उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है जिसमें वादी भेरा व मैदा का 1/2 हिस्सा, शेष वादीगण एवं प्रतिवादी केली का 1/2 हिस्सा चला आ रहा है । मौके पर बहामी बंटवारा हो रखा है । वादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है । वादपत्र में वादीगण मैरा व भेरा के हिस्से में खसरा नंबर 1680, 1681, 1685/1, 1687/1 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा व शेष वादीगण एवं प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नंबर 1681/2, 1685/2, 1687/1/2, 1687/2 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वांसी भूमि होना कथन किया एवं संलग्न नक्शे में रेखांकित करना व गत 30–40 वर्षो से कब्जे में होने बाबत् कथन किया । साथ ही यह भी कथन किया कि पक्षकारान के मध्य सीमा संबंधी विवाद होते है जिसके कारण खाते के सभी पक्षकार द्वारा आपसी सहमति से वादपत्र में वर्णितानुसार खेतो का बंटवारा कराने हेतु सहमत हुए है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती केली द्वारा सहमति नहीं दी गई एवं उसके द्वारा न्यायालय के माध्यम से ही जरिये डिक्री बंटवारा कराने हेतु कहा गया जिससे उक्त वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है । प्रतिवादी केली द्वारा प्रश्नगत भूमि में अपना हिस्सा अन्य भूमि के एवज में वादी कालूसिंह को सुपुर्द कर दिया किन्तु भूमि में उसका नाम दर्ज होने की आड़ में अनुचित लाभ उठाते हुए अनावश्यक रूपयों की मांग कर रही है एवं उसके द्वारा खेतों में आने जाने के रास्ते को बंद करने की धमकियां दी गई जिससे उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना भी आवश्यक है । अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित स्थिति अनुसार दावा डिक्री किया जाकर उक्त हिस्से अनुसार बंटवारा किया जावे एवं प्रतिवादी केली देवी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2005 को राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार कर वादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 1 केली के विरूद्ध वाद डिक्री किये जाने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने राज0काश्त0अधि0 एवं सिविल प्रक्रिया संहित में प्रावधित प्रावधानों एवं रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को पूर्णतया दरकिनार करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया कि वादीगण/रेस्पो0 की ओर से प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में प्रस्तुत वाद पत्र एवं राजीनामे बाबत् अपीलांटस को कतई जानकारी नहीं रही एवं वादीगण/रेस्पो0 भेरा व मैदा द्वारा आपसी साजकर अपीलांटस से कुछ कागजात पर यह कहते हुए हस्ताक्षर कराये कि उनकी संयुक्त खातेदारी आराजी बाबत् विधिवत् बंटवारा कराना है । चूंकि अपीलांटस अनपढ़, गरीब काश्तकार व्यक्ति है एवं मात्र हस्ताक्षर करना जानता है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा वाद प्रस्तुतीकरण की जानकारी होना एवं तथाकथित राजीनामा किया जाना किसी भी स्थिति में सिद्ध नहीं होता है एवं न्यायालय का भी यह विधिक दायित्व था कि विधि पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा तस्दीक किया जाना है तो समस्त पक्षकारों का उपस्थित होना एवं सहमति होना आवश्यक है । परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वादी/रेस्पो0 भैरा व मैदा द्वारा किए गए जालसाजीपूर्ण कृत्य में सहयोग करते हुए तथाकथित बंटवारे बाबत् जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । प्रश्नगत आराजियात पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी/कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें से आराजी खसरा नंबर 1680 रकबा 4 बिस्वा भूमि रास्ते की भूमि है एवं समस्त सहखातेदारान का उक्त खसरा नंबर 1680 में निर्मित रास्ते से सदैव आना जाना रहा है । ऐसी स्थिति में कानूनन आराजी खसरा नंबर 1680 जो कि रास्ते की भूमि है, का बंटवारा नहीं किया जा सकता था । खसरा नंबर 1680 को वादी/रेस्पो0 भैरा व मैदा के हिस्से में रखने से समस्त सहखातेदारान का अपनी खातेदारी आराजियात में आवागमन का रास्ता समाप्त कर दिया गया है जो न्याय की मंशा से परे है । हस्तगत वाद धारा 53 राज0काश्त0अधि0 बाबत् था जिसमें कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में बिना समस्त पक्षकारान की उपस्थिति के तथाकथित राजीनामे के आधार पर बंटवारे बाबत् कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी एव ना ही ऐसी तथाकथित डिक्री के आधार पर अन्य सहखातेदारों को अपने आवागमन के रास्ते से महरूम किया जा सकता है । अधी0.न्याया0 ने उक्त स्थिति को समझे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कथन किया कि बंटवारे के वाद में विधि अनुसार प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री निर्मित किया जाना आवश्यक है । प्राथमिक डिक्री उपरांत प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की जाती है । परन्तु अधी0न्याया0 ने उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में अपने निर्णय दिनांक 30.3.2005 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री एक साथ जारी करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2005 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनाक 30.3.2005 की कतई जानकारी नहीं रही है । सर्वप्रथम जानकारी प्रश्नगत भूमि में से रास्ते बाबत् भूमि खसरा नंबर 1680 पर अतिक्रमण बाबत् स्थिति उत्पन्न होने एवं प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने में रूकावट पैदा करने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा वाद पत्र पेश किया गया जो दिनांक 4.6.2016 को बिना सुनवाई किये कैम्प में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत यह कहते खारिज किया कि पूर्व में

खसरा नंबर 1680 व अन्य आराजियात बाबत् वाद पत्र पेश हुआ जिसमें उक्त आराजी खसरा नंबर 1680 भैरा व मैदा के हिस्से में रखी गई है जिससे प्रार्थी कालू को वाद लाने की अधिकारिता नहीं है । उक्त जानकारी होने पर अपीलांट ने निर्णय व डिक्री की नकल व अन्य दस्तावेजात दिनांक 26.8.2016 को प्राप्त किए तत्पश्चात् अधिवक्ता की सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2005 के विरूद्ध भारी मियाद बाहर अपील पेश की है जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट स्वंय वादी था । अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकारान द्वारा कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा किये जाने हेतु राजीनामा पेश किया है जिस स्वंय वादी/कालू वर्तमान अपीलांट के हस्ताक्षर है । अपनी उक्त स्वीकारोक्ति से अब अपीलांट इंकार नहीं कर सकते है । अधी0न्याया0 ने पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर बंटवारे का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने हस्तगत अपील अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2005 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 7.9.2016 को करीब 11 वर्ष के बाद भारी मियाद बाहर पेश की है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी प्रश्नगत भूमि में रास्ते बाबत् स्थिति उत्पन्न होने एवं प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने में रूकावट पैदा करने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा वाद पेश किये गया जिसमें तारीख पेशी दिनांक 4.6.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत वाद खारिज करने के आधार पर हुई कि पूर्व में खसरा नंबर 1680 व अन्य आराजियात बाबत् वाद प्रस्तुत हुआ जिसमें उक्त आराजी खसरा नंबर 1680 भैरा व मैदा के हिस्से में रखी गई है । जिससे प्रार्थी कालू को वाद लाने की अधिकारिता नहीं है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकारान द्वारा दिनांक 16.2.2004 को राजीनामा पेश किया गया जो अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 30.3.2005 को प्रदर्शित किया गया है । उक्त राजीनामे पर अपीलांट कालूसिंह के स्वंय के हस्ताक्षर है । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त राजीनामे के आधार पर दिनांक 30.3.2005 को उभयपक्ष की मौजूदगी में वाद डिक्री किया गया है । इसलिये अपीलांट का यह कथन कि उसे अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.6.2016 को हुई है किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है जिसमें स्वंय के हस्ताक्षर है । अपीलांट द्वारा लगभग 11 वर्षो की भारी मियाद बाहर पेश अपील किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र में संतोषप्रद एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है जिससे इतने भारी विलंब को माफ नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के समुचित, संतोषप्रद एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र धार 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाता है ।

8. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की जाती है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिांक 30.3.2005 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर